न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
296/2023	30.10.2023	28.10.2025

1. वाजिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
2. जाहिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
3. आविद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
4. खालिद अली पुत्र शब्बीर अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
5. अनीस अली पुत्र अतीक अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
6. नफीस अली पुत्र अतीक अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
7. रहीस अली पुत्र अतीक अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी
8. अतर अली पुत्र आरिफ अली, मुसलमान, काजी कोलोनी, गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0
बाबत् अपास्त किए जाने निर्णय व डिक्री मुकदमा
उनवानी लैण्ड होल्डर बनाम शब्बीर मु0नं0 32/95

उपस्थित :— श्री गजेन्द्र सैनी, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय की ओर से एक दावा उनवानी लैण्डहोल्डर बनाम शब्बीर अली, अतीक अली अन्तर्गत धारा 175 व 177 आरटीएक्ट मुकदमा संख्या 32/95 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में शब्बीर अली व अतीक अली को नोटिस जारी किये गए थे एवं वे तथा इनके अधिवक्ता माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु दिनांक [illegible]1997 को शब्बीर अली व अतीक अली के अधिवक्ता रमेश चन्द [illegible] के उपस्थित नही होने के कारण शब्बीर अली व अतीक अली के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गए तथा एक तरफा में साक्ष्य ली जाकर दिनांक 28.10.1997 को दावा एकतरफा में डिक्री कर दिया गया। जिसके तहत भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

5905 रकबा 95 एयर, खसरा नम्बर 5961 रकबा 45 एयर, खसरा नम्बर 5960 रकबा 9 एयर, खसरा नम्बर 5944 रकबा 79 एयर, खसरा नम्बर 5945 रकबा 8 एयर, खसरा नम्बर 5946 रकबा 27 एयर, खसरा नम्बर 5947 रकबा 11 एयर, खसरा नम्बर 5948 रकबा 8 एयर कुल रकबा 2.82 है0 ग्राम उदेईकलां को सिवायचक घोषित कर दिया गया। उक्त शब्बीर अली व अतीक अली जान बूझकर माननीय न्यायालय में अनुपस्थित नही हुए थे। शब्बीर अली व अतीक अली के अधिवक्ता द्वारा उनको आश्वस्त कर रखा था कि उनकी जब भी आवश्यकता होगी उन्हें सूचना दे दी जावेगी परन्तु शब्बीर अली व अतीक अली के अधिवक्ता द्वारा उनको कोई सूचना नहीं दी गयी व इनके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही के आदेश माननीय न्यायालय में पारित कर दिये। इस एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थीगण 1 लगायत 4 मृतक शब्बीर अली के वारिस है तथा प्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 अतीक अली के वारिस है एवं प्रार्थी संख्या 8 मृतक आरिफ अली के वारिस है। आरिफ अली अतीक अली का पुत्र था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा विधी अनुसार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व आदेश की कोई जानकारी नही थी ना ही शब्बीर अली व अतीक अली ने अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व आदेश से अवगत कराया था। प्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा उक्त भूमि को आवासीय में दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही शुरू की जिस पर पटवारी हल्का उदेईकलां ने प्रार्थीगण को दिनांक 04.10.2023 को अवगत कराया कि उक्त भूमि सिवायचक में दर्ज हो चुकी है। इसलिए उक्त भूमि आवासीय में दर्ज नही की जा सकती है। विस्तृत जानकारी करने पर उक्त दावे की प्रार्थीगण को जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने रिकार्ड रूम गंगापुर सिटी में नकले लेने हेतु दिनांक 11.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया एवं नकले देखने पर प्रथम बार दिनांक 11.10.2023 को प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी हुई है। इससे पूर्व प्रार्थीगण को किसी तरह की कोई जानकारी नही थी। मृतक शब्बीर अली व अतीक अली दिनांक 06.02.1995 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे थे एवं अपने अधिवक्ता का वकालतनामा भी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करवाया था एवं उनके अधिवक्ता ने उनको आश्वस्त कर रखा था कि आवश्यकता पडने पर उनको बुलवा लिया जावेगा। किन्तु मृतक शब्बीर अली व अतीक अली के अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नही भिजवाई गई एवं स्वयं अधिवक्ता भी माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हुए तथा दिनांक 09.01.1997 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गए व 28.10.1997 को एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। यह विधी का सर्वमान सिद्धान्त है कि अधिवक्ता की गलती की लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.1997 में यह अंकन किया है कि विवादित भूमि में अतीक अली पुत्र मोहम्मद अली द्वारा भूखण्ड काटकर अवैध निर्माण किया गया है। जबकि अतीक अली द्वारा ना तो आवासीय भूखण्ड काटे गये थे ना ही कोई आबादी बसायी थी। अतीक अली एवं शब्बीर अली खास भाई थे जिनका परिवार बडा हो जाने के कारण उन्होने वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरों के कुछ हिस्सों में रिहायस बना ली थी एवं इसी रिहायस को पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से आवासीय कॉलोनी बने होने का अंकन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके आधार पर ही माननीय न्यायालय द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी का दावा डिक्री कर दिया गया था। अतीक अली व शब्बीर अली जान बूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नही रहे थे तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा पारित कर दिये गए थे जो निरस्त होने योग्य हैं। यह निर्णय व डिक्री अतीक अली व शव्बीर अली को सुने बिना ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये है। ऐसी स्थिति में अतीक अली व शब्बीर अली के वारिस होने के कारण प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि सम्मत है। ताकि न्यायालय के समक्ष वस्तुस्थिति आ सके। उक्त भूमि के चारो तरफ आबादी बस चुकी है ऐसी स्थिति मे रिहायस हेतु भूमि को आबादी में परिवर्तित कराने हेतु दिनांक 04.10.2023 को प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से रिकार्ड के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो ज्ञात हुआ कि भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी है। इसकी नकल रिकार्ड रूम सवाई माधोपुर से दिनांक 11.10.2023 को प्राप्त हुई है। अतः निर्णय व डिक्री की जानकारी से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा मृतक शब्बीर अली व अतीक अली के विरूद्ध दिनांक 09.01.1997 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिनांक 28.10.1997 निर्णय व डिक्री जो एकतरफा में पारित [illegible] है। उसको निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.1997, नकल आदेशिका दिनांक 05.05.1995 से 28.10.1997 प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:18 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान अप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी पैरोकार के रूप में उपस्थित हुए एवं उभयपक्षकारों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि मृतक शब्बीर अली व अतीक अली के विरूद्ध पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.1997 की प्रार्थीगण को पूर्व से कोई जानकारी नही थी। जानकारी होने के पश्चात प्रार्थीगण ने अन्दर मयाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण ने मयाद बाहर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है एवं देरी का कोई उचित कारण नही बताया है। इसलिए इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.1997 एवं आदेशिका की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण शब्बीर अली व अतीक अली द्वारा प्लॉट काटकर भूमि का विक्रय किये जाने पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से धारा 175, 177 आरटीएक्ट के तहत वाद इस न्यायालय में 05.05.1995 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें शब्बीर अली व अतीक अली को तलब किया गया एवं ये मय अधिवक्ता दिनांक 6.12.95 को न्यायालय में उपस्थित हुए। इन्हें जबाब हेतु समय दिया परन्तु दिनांक 9.1.97 तक इनके द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं दिनांक 9.1.97 को ये स्वयं एवं इनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं दिनांक 28.10.97 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए गए। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने शब्बीर अली व अतीक अली की मृत्यु की तिथि अंकित नहीं की है जिससे यह जानकारी नहीं हो रही है कि उनकी मृत्यु के कितने समय पश्चात् प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपने इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने देरी का जो कारण अंकित किया है वह संतोषप्रद नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाजदायरी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:18 IST
Reason: SelfAttested